# अनुरंजन क्या है?
## प्रस्तावना :

समान अवसर आयोग (EOC) एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना भेदभाव विरोधी कानून को कार्यान्वित करने के लिए की गई। हॉग कॉग के भेदभाव विरोधी कानून के अर्न्तगत ऐसे लोग जो किसी गैरकानूनी विभेदमूलक आचरण या अत्याचार के कारण कष्ट के भागी होते है तो उन्हे EOC से सहायता पाने का अधिकार है। यह EOC द्वारा कार्यान्वित आरोपों की प्रक्रिया के तहत किया जाता है।

**.आरोप व्यव्स्था** : इस व्यव्स्था का मुख्य उद्देश्य अनुरंजन के तहत दो दलों के बीच, विवादों को सुलझाना है। जब कोई व्यक्ति EOC में लिखित आरोप दर्ज कराता है तो कानून के तहत यह आवश्यक होता है कि उस आरोप के लिए एक जाँच कराई जॉय और इसे शान्ति प्रक्रिया द्वारा सुलझाया जॉय जब तक कि यह जाँच को रोकने की सहमति न दे।

कानून उन शर्तो की व्याख्या करेगा जिसके तहत आरोपों की जाँच बन्द की जा सके। किसी जाँच को बन्द करने की शक्ति का प्रयोग काफी सावधानी पूर्वक जवाबदाता के अधिकारों और आरोप दाता के अधिकारों में संतुलन स्थापित किया जाता है।

इस जाँच प्रक्रिया और अनुरंजन प्रक्रिया के दौरान EOC को एक स्वतंत्र और निष्पक्ष भूमिका अदा करनी होगी। EOC दोनों में से किसी भी दल के आरोप के लिए कार्य नहीं करती है। साथ ही यह EOC का कार्य नहीं है कि वह किसी विशेष शिकायत पर न्यायिक निर्णय दें। यह न्यायालय का कार्य हैं

## अनुरंजनः

इस अनुरंजन का उद्देश्य दो अलग– अलग दलों को एक साथ लाना है जिसके अर्न्तगत समस्या के हल के तरीके खोज निकालना है। अनुरंजन के अर्न्तगत सामान्य धरातल की खोज की जाती है जिससे कि दोनो दलों की संतुष्टि के अनुसार समस्या को सुलझाने में मदद की जा सके, जिससे कि दोनो ही पार्टियॉ इस विवाद से आगे जा सके। चूँकि अनुरंजन प्रक्रिया के तहत दोनों पक्षों को विवाद में अपने मत प्रस्तुत करने का अधिकार है, इसलिए हरेक पक्ष को दूसरे की स्थिति समझकर ज्यादा सूझ बूझ की जरूरत है। इससे झूठे मान्यताओं या जानकारी पर आधारित गलतफहमियॉ दूर करने और आचरण में वास्तविक इकठ्ठी की गई सभी जानकारियों को गोपनीय रखा जाता है और इसे न्यायालन की कार्यवाहियों तक उपलब्ध नहीं कराया जाता है।

यह अनुरंजन प्रक्रिया पूरी तरह ऐच्छिक है। अगर पार्टियॉ किसी समझौते पर पहुॅचती है तो पार्टियो द्वारा हस्ताक्षरित समझौता एक संविदा है और यह कानूनी मान्य है। अनुरंजन समझौता किसी क्षमायाचना नीतिओं और आचरणों में परिवर्तन, कार्य प्रक्रियाओं की समीक्षा पुर्न प्रस्तावनाए धन संबंधी समझौते इत्यादि के रूप में हो सकता है

## . कानूनी सहायता

अगर अनुरंजन सहायक हो तो आरोप कर्त्ता EOC से कानूनी सहायता के लिए अपील कर सकते है EOC के कानूनी और आरोप समिति के द्वारा समर्थन के सभी प्रार्थना पत्रों पर विचार किया जाता है।

## अनुरंजन क्या है?

**अनुरंजन विभिन्न पार्टियों को किसी एक समझौते पर पहुॅचने में मदद करता है जिसमें निम्न बातें शामिल हैः–**

– मुद्दो को पहचान कर, तथ्यों और परिस्थितियों की समझ करना

– समस्याओं पर विचार करना

–पार्टियों की जरूरतों को समझना

–एक पारस्परिक स्वीकार्य समझौते पर पहुॅचना

**अनुरंजन के लाभ बताये? .**

– यह अनुरंजन मुफ्त है

–यहॉ न्यायालय में जाने की तुलना में कम खर्च होता है।

–यहॉ व्याक्तिगत पार्टियों को मीडिया के सामने नहीं ले जाया जाता है।

–यह न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई से कम औपचारिक है।

–यह ऐच्छिक है।

## क्या मैं अनुरंजन के लिए प्रार्थना कर सकता हूॅ?

–सामान्य EOC एक जाँच कर यह निर्णय लेगा कि क्या मुकदमों को बंद करे या फिर अनुरंजन प्रक्रिया की ओर चलें।

–जहॉ उचित हो, वहॉ आरोप देख–रेख जाँच के दौरान ही विवाद को अनुरंजित करने का प्रयास ई ओ सी करेगा। प्रक्रिया स्वरूप में इसे "शीघ्र अनुरंजन" के नाम से जाना जाता है।

– अगर कोई भी पार्टी जाँच पूरा होने के पहले ही अनुरंजन चाहती है तो अन्य (दूसरी) पार्टी की सहमति पर EOC शीघ्र अनुरंजन का प्रयास करेगी।

**मैं कैसे अनुरंजन की तैयारी करूॅ?**

– अपनी समस्याओ और जरूरतो को बताये और स्पष्ट करें

– दूसरे पक्ष की बाते सुनने के लिए भी तैयार रहे।
– कोई भी मित्र या वकील लाये अगर आपको जरूरत हो तो लेकिन आपको पहले यह बताना होगा जिससे कि आप अन्य पार्टी की सहमति पा सके। अगर दूसरी पार्टी सहमत न हो तो आप किसी दूसरे को अनुरंजन बैठक में बुला सकते है। साथ ही अगर जरूरत पड़े तो आप उस आदमी को किसी दूसरे कमरे में बैठा सकते हो जिससे आपको जब जरूरत पड़े तो आप उससे किसी भी समय विचार कर सकते है।
– आप चाहे गये सम्भावित परिणामों पर विचार करें।
– इन सम्भावित परिणामों पर विचार करने के लिए तैयार रहे।

## किसी अनुरंजन बैठक के दौरान आपको क्या करना होगा?

– आपको अपना केस स्पष्ट रूप में बताना होगा
– अगर आपको मुद्दा समझ न आये तो आप प्रश्न पूछ सकते है।
– दूसरे पक्ष के विचारो को सुनना
– इस विवाद को सुल्झाने के लिए विकल्पों को सुल्झाना और उन पर विचार करना
– किसी अन्तिम समझौते पर पहुॅचना

## अनुरंजन अधिकारी कौन से है?

– EOC में अनुरंजन अधिकारी विभिन्न प्रकार के क्षेत्रो से आते है ।
– उनके प्रशिक्षण को दैनिक आधार पर अपडेट किया जाता है।
– उन्हे न्यायपूर्ण स्वतंत्र और निष्पक्ष होना होगा।

**आपको अनुरंजन के दौरान क्या करना होगा?**

– वे इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि सभी को अपनी परेशानी स्पष्ट करने का अवसर मिलें।
– हरेक व्यक्ति को इस प्रकार उत्साहित करे कि वह दूसरे के कहे को सुने।
– इस बात को सुनिश्चित करे कि सभी उपलब्ध जानकारी को समझा जाता है, और उस पर विचार किया जाता है।
– हरेक व्यक्ति को मुद्दें पर विचार करने के लिए और किसी समझौते पर पहुॅचने हेतू कार्य कराना
– हरेक व्यक्ति के साथ न्यायोंचित और निष्पक्षरूप में व्यवहार करना
– उन्हे पार्टियों की गोपनीयता का सम्मान ध्यान में रखना पड़ता है।

**वे किस तरह मेरी मदद करेंगे?**

वे विवादित मुद्दो पर विचार करने के लिए सभी पार्टियों में जानकारी विनिमय में मदद देने के लिए प्रश्न या जवाब को पूछते है।
किसी समाधान तक पहुॅचने में विकल्पों का विकास और परीक्षण करना
पाटियों की इच्छानुसार सुलह समझौता का प्रारूप तैयार करना और परिणाम रिकार्ड करना

**क्या मेरे द्वारा बताई गई गोपनीय सूचनाओं को अनुरंजन के दौरान इकठ्ठी की गई हो या सुनी गई हो उसे गुप्त रखा जाता है**

मेरे द्वारा बताई गई गोपनीय सूचनाओं को अनुरंजन के दौरान इकठ्ठी की गई हो या सुनी गई हो उसे गुप्त रखा जाता है और इसे न्यायालय की कार्यवाही के लिए इस्तेमाल नहीं किया जायेगा।

**ऐसी कौन सी समझौता शर्ते है जो मैं पूछ सकता है।**

ये शर्ते विवाद की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। वास्तव में यह उन दशा के विपरीत है जो आरोपों को उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को काम से निकाला जॉय तो वह दुबारा नौकरी के लिए प्रार्थना कर सकता है। अगर उसे प्रोमोशन या ट्रान्सफर न दिया जॉय तो वह इसके लिए माँग कर सकती है। अगर प्रशिक्षण न मिले तो इसे समक्षौते की शर्त में एक दशा माना जायेगा। अन्य सम्भापित वस्तुये है।

– प्रार्थना पत्र
– समान अवसर नीतियों को लागू कराना
– वित्तीय समझौता –
– शारीरिक अधिकार का निर्माण इत्यादि

**क्या समझौता कानूनी तौर पर बाध्य होगा?**
हॉ – यह समझौता दो पार्टियों के बीच का है और कानूनी तौर पर मान्य होगा।
**अगर आपका अनुरंजन सफल न हो तो ?**
तो प्रार्थी EOC में अप्लाई कर सकता है जिसमें कि जिला न्यायालय में सिविल मुकदमें दाखिल करने के लिए कानूनी सहायता मिले। इस कानूनी सहायता की गारन्टी नहीं दी जा सकती है।

ई ओ सी कानूनी सहायता हेतू प्रार्थना पत्रो को तब तक नहीं मौका देगा जब तक कि प्रार्थी ने इस आरोप व्यवस्था की प्रक्रियाओ को पूरा कर लिया हो तो इस तरह अनुरंजन असफल साबित हुआ हो। ऐसे मुकदमों में अगर ई ओ सी, चाहे वह कानूनी सहायता प्रदान कर सकता हे।

कानून के अर्न्तगत वैधानिक सहायता तभी दी जा सकती है

–अगर इस मुकदमें के जरिये सिद्धांत संबंधी प्रश्न पूछा जॉय।
– यह अविवेक पूर्ण है, क्योंकि इसमें जवाबदाता से संबंधी केस में या प्रार्थी की दशा जयादा जटिल है जिसके अर्न्तगत प्रार्थी को बिना किसी सहायता के केस डील कराना पड़ता है।

***क्या मैं स्वतंत्र रूप में सिविल प्रक्रियाओं को इस्तेमाल में लगा सकता है।***

दुःखी व्यक्तिगत सिविल प्रक्रियाओं को इस्तेमाल में लगा सकता है।

**कहॉ से मदद प्राप्त करूँ?**

आपकी मदद करने के लिए EOC हमेशा से है।
साथ ही भेदभाव कानून संबंधी शैक्षिक पुस्तिकाये कानून है जैसे ..."DDO और मैं ", "SDOऔर मैं ", "FSDO और मैं ". "आपके अधिकारों को जानो" एक सीरीज है जो, यौनिक अत्याचार गर्भावस्था संबंधी भेदभाव आदि अन्य क्षेत्र है जो संभव है।

हमारे वेबसाईट पर संपर्क करे http://www.eoc.org.hk
।

हमे लिखेः–
**समान अवसर आयोग**
19/F, सिटी प्लाजा थ्री
14, टाईकू वान रोड, टाईकू शिंग, हॉग कॉग,
टेलीफोन : 2511 8211
दूरभाष 2511 8142

वेबसाईट http://www.eoc.org.hk